भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3241
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

थोक दवाओं के लिए पीएलआई योजना

3241. श्री राधाकृष्णः
श्री जी. लक्ष्मीनारायणः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सक्रिय भेषजीय घटकों (एपीआई), की स्टार्टिंग मैटेरियल्स (केएसएम) और ड्रग इण्टरमीडिएट्स के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या और प्रतिबद्ध, स्वीकृत और वास्तविक निवेश का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) योजना के अंतर्गत आवंटित/स्वीकृत/जारी/उपयोग की गई निधि और स्वीकृत व शुरू की गई उत्पादन क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) स्वीकृत की गई इकाइयों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए उत्पादन की मात्रा और वैल्यू राज्य-वार वर्ष-वार कितनी है;
(घ) उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए और संवितरित किए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है, साथ ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू न करने वाली परियोजनाओं की संख्या कितनी है;
(ङ) क्या उक्त योजना के शुरू होने के बाद से स्वीकृत एपीआई और केएसएम के लिए आयात पर निर्भरता में कमी के बारे में कोई आकलन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और आयात प्रतिस्थापन के लिए चिह्नित किए गए विशिष्ट एपीआई के लिए आयात निर्भरता में एपीआई-वार आई कमी क्या है; और
(च) योजना की स्वीकृति के बावजूद आयात पर निर्भरता कम नहीं होने वाले एपीआई, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
<u>रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)</u>

(क) से (ङ): भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारम्भिक सामग्री (केएसएम)/औषधि मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय औषधीय सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (जिसे बल्क औषधियों के लिए पीएलआई योजना के रूप में भी जाना जाता है) के अन्तर्गत 48 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है । इस योजना का अनुमोदित परिव्यय ₹6,940 करोड़ है, जिसमें से मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार ₹87.70 करोड़ का उपयोग अनुमोदित आवेदकों को प्रोत्साहन के वितरण में किया गया है। इसके अलावा, 28 एपीआई/केएसएम/डीआई के लिए उत्पादन क्षमता सृजित की गई है। इनमें से 10 ने वाणिज्यिक उत्पादन हासिल नहीं किया है। मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, ₹4,329.95 करोड़ के प्रतिबद्ध निवेश की तुलना में ₹5,070.45 करोड़ का संचयी निवेश

हासिल किया गया है। स्वीकृत परियोजनाओं, प्रतिबद्ध निवेश, वास्तविक निवेश, अनुमोदित उत्पादन क्षमता, सृजित क्षमता, उत्पादन की मात्रा और मूल्य और प्रोत्साहन वितरण का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-क** में प्रस्तुत है।

(च): बल्क औषधियों के लिए पीएलआई योजना के अन्तर्गत अनुमोदित 41 उत्पादों की सूची **अनुलग्नक-ख** में प्रस्तुत है। इनमें से निम्नलिखित 18 एपीआई का उत्पादन शुरू हो गया है, जिससे आयात निर्भरता कम हो गई है - पेनिसिलिन जी, क्लैवुलैनिक एसिड, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, पैरा एमिनो फेनोल, 1,1 साइक्लोहेक्सेन डायसेटिक एसिड (सीडीए), डाइसेंडियामाइड (डीसीडीए), एटोरवास्टैटिन, लेवोफ्लोक्सासिन, सल्फाडायज़िन, ओफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, आर्टेसुनेट, टेलमिसार्टन, लोपिनवीर, कार्बामाज़ेपाइन, ऑक्सकार्बाज़ेपाइन और डाइक्लोफेनाक सोडियम।

अनुलग्नक-क

दिनांक 07.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3241 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर के संदर्भ में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्य का नाम	मंजूर की गई परि-योजनाओं की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		क्षमता (मिट्रिक टन में)		उत्पादन मात्रा (मिट्रिक टन में)			उत्पादन मूल्य (₹ करोड़ में)			जारी प्रोत्साहन (₹ करोड़ में)
		प्रतिबद्ध	वास्तविक	प्रतिबद्ध	संस्थापित	2023-24	2024-25	2025-26	2023-24	2024-25	2025-26	
आंध्र प्रदेश	10	1,745.7	2,676	24,390	16,468	224.4	1,207.4	5,498.6	63.2	258.4	865.7	31.91
गुजरात	8	330.9	407.3	14,270	13,959	7,028.7	4,170	5,572.7	209.5	133.1	162.9	11.3
हरियाणा*	1	81	37	800	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हिमाचल प्रदेश	2	806.8	502.6	1,100	400	0.01	69.9	172.1	0	115.9	242.6	11.98
जम्मू और कश्मीर*	1	185	338.65	1,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कर्नाटक	3	96.9	201.4	37	16.7	0	0	0.9	0	0	3.12	शून्य
मध्य प्रदेश	2	280	101.8	1,015	15	3.63	4.93	0.32	24.71	33.37	3.2	शून्य
महाराष्ट्र	5	308.4	168.8	40,185	19,180	611.9	500.3	1.14	27.51	26.41	0.01	शून्य
पंजाब	1	137.7	161.1	180	206	91.4	79.6	58.15	119.53	96.9	72.01	27.18
तमिलनाडु	2	31.5	45.6	280	280	3.1	0.0025	5.73	0.8	0.01	1.24	शून्य
तेलंगाना	13	326.02	430.2	7,820	7,820	103.1	89.4	108.03	87.4	85.8	101.5	5.23

* हरियाणा और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में परियोजनाएं शुरूआत किए जाने के चरण में हैं।

अनुलग्नक-ख

दिनांक 07.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3241 के भाग (च) के उत्तर के संदर्भ में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	केएसएम / डीआई / एपीआई का नाम
प्रमुख किण्वन आधारित केएसएम / औषधि मध्यवर्ती	
1	पेनिसिलिन जी
2	7-एसीए
3	एरिथ्रोमाइसिन थियोसाइनेट (टीआईओसी)
4	क्लेवुलैनिक एसिड
किण्वन आधारित विशिष्ट केएसएम / औषधि मध्यवर्ती / एपीआई	
5	नियोमाइसिन
6	जेन्टामाइसिन
7	बेटामेथासोन
8	डेक्सामेथासोन
9	प्रेडनिसोलोन
10	रिफैम्पिसिन
11	विटामिन बी-।
12	क्लिंडामाइसिन बेस
13	स्ट्रेप्टोमाइसिन
14	टेट्रासाइक्लिन
प्रमुख रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम / औषधि मध्यवर्ती	
15	1,1 साइक्लोहेक्सेन डायसेटिक एसिड (सीडीए)
16	2-मिथाइल-5 नाइट्रो-इमिडाज़ोल (2-एमएनआई)
17	डाइसायनडाएमाइड (डीसीडीए)
18	पैरा एमिनो फीनोल
अन्य रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम / औषधि मध्यवर्ती / एपीआई	
19	मेरोपेनेम
20	एटोरवास्टैटिन
21	ओल्मेसर्टन
22	वल्सार्टन
23	लोसार्टन
24	लेवोफ्लोक्सासिन
25	सल्फडियाज़ीन
26	सिप्रोफ्लोक्सासिन
27	ओफ़्लोक्सासिन
28	नॉरफ्लोक्सासीन
29	आर्टेसूनैट
30	टेलमिसार्टन
31	एस्पिरिन
32	डाइक्लोफेनाक सोडियम
33	लेवेटी रेसिटम
34	कार्बिडोपा
35	रिटोनावीर
36	लोपिनवीर
37	एसिक्लोविर
38	कार्बामाज़ेपाइन
39	ऑक्सकार्बाज़ेपाइन
40	विटामिन बी-6
41	लेवोडोपा
